



राज

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

शीर्षक

बनाम

दिनांक : संख्या-

कार्यवाही प्रकरण

हस्ताक्षर/
सूचना नं.

28-1-2025

पत्रावली पेश हुई। वादीगण

एवं वादीगण के अधिकार अनुपस्थित।

पत्रावली अनुच्छेद 032 R12 CPC पर मजिस्ट्रेट

बहक हेतु नियत है। न्यायालय समय में

रुक-रुक कर कई बार आवाज लगाई

गई किन्तु ना तो वादीगण ना ही उनके अधिकार

पैरवी हेतु उपस्थित हुए। न्यायालय समय

समाप्त होने तक वादीगण एवं वादी अधिकार

कोई भी उपस्थित नहीं हुए।

अतः वादी का काद आदम हाजरी

आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर न्याय

से कम की जावे।

M/